न्यायालय अपर समाहर्त्ता, राँची।

अनुसूची 14–फारम सं0–562

आदेश–पत्रक

(देखे अभिलेख हस्तक, 1941 का निमय, 129)

आदेश पत्रक ..... से .....तक

जिलाः– राँची अंचलः शहर

केस का प्रकारः– **विविध (अपील) वाद संख्या–04/18–19**

मौजा–हातमा

रंजीत उरांव (टोप्पो) ..... प्रथम पक्ष।

बनाम

राजेश उरांव..... द्वितीय पक्ष।

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की ग टिप्पणी
10/6/23	**आदेश** अभिलेख उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्षों की हाजरी है। अपीलकर्ता रंजीत उरांव (टोप्पो) व अन्य द्वारा न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर रांची के विविध वाद सं0–12/2015–16, टी0आर0 सं0–09/16–17 में दिनांक–15.06.2018 को पारित आदेश के विरूद्ध दायर किया गया है। अपीलकर्ता का कथन है कि उनके अपने पैतृक भूमि जो ग्राम–हातमा, राजस्व थाना नं0– 200, थाना– रांची, वर्तमान लालपुर, जिला– रांची में स्थित आर.एस. खाता नं0– 200, प्लॉट नं0– 469, रकबा 43 डिसमिल भूमि है को विपक्षीगणों के द्वारा छल–प्रपंच के सहारे हड़पने के प्रयास से बचने हेतु दायर किया है। उपरोक्त वर्णित भूमि के आर.एस. खतियान के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि प्रश्नागत भूमि आर.एस. खतियान प्रकाशन के पूर्व ही खतियानी रैयतों के बीच आपसी बंटवारा हो चुका है और बंटवारे में प्रश्नागत भूमि शनिचरवा उरांव को प्राप्त हुआ। वर्तमान अपीलकर्ता शनिचरवा उरांव के वंशज हैं और प्रश्नागत भूमि इनके दखल कब्जे एवं पूर्ण स्वामित्व में है। जबकि विपक्षीगण शनिचरवा उरांव को नावल्द बताकर विभिन्न न्यायालयों को धोखे में रखकर निम्न न्यायालयों से अपने पक्ष में आदेश प्राप्त कर लिया है जिसकी समाप्ति हेतु अपीलकर्ता ने अपील दायर किया है। अपीलकर्ता के अनुसार वो अपने सारे तथ्यों को अपील आवेदन में उल्लेखित किया है अपीलकर्ता निवेदन करते है कि वर्तमान में विपक्षीगणों द्वारा प्रश्नागत भूमि से अपीलकर्ता को बेदखल करने हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है, न्याय के दृष्टिकोण से यह आवश्यक है कि अपीलकर्ता को प्रश्नागत भूमि से बेदखल होने से बचाया जाय। विपक्षीगण को अनेकों बार नोटिस निर्गत किया गया किन्तु वह अपना पक्ष रखने असफल रहें।	

निम्न न्यायालय के आदेश का अवलोकन किया। इस वाद की कार्यवाही अंचलाधिकारी, शहर अंचल, राँची द्वारा राजेश उराँव, पिता–डिबरू उराँव, निवासी ग्राम–हातमा, थाना–लालपुर, जिला–राँची के आवेदन पत्र पर प्रारम्भ की गई है। अंचल अधिकारी, शहर अंचल, राँची ने उक्त आवेदन पत्र की जाँच संबंधित राजस्व कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक से कराई है। उनके द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदनुसार मौजा–हातमा, खाता सं0–200, खतियान में शनिचरवा उराँव वी डीबरू उराँव के नाम से दर्ज है। परन्तु उक्त खाता की जमाबंदी पंजी–॥ में दर्ज है। स्थल जाँच में पाया गया कि प्लॉट सं०–468, रकबा 0.43 डी० खतियान में अंकित है जो कैफियत खाना में प्लॉट नं०–469 में बकब्जे डीबरू उराँव के नाम से था। प्लॉट सं0–469 में बकब्जे शनिचरवा उराँव के नाम से दर्ज है, तथा आवेदकगण का दखल है। अंचलाधिकारी, शहर अंचल, राँची द्वारा अंचल अमीन की नापी की कराई है। अंचल अमीन ने प्रतिवेदित किया है कि मौजा–हातमा, खाता सं0–200, प्लॉट सं०–468, रकबा–43 डी० रकबा–43 डी० एवं प्लॉट सं०–469, रकबा–43 डी० कुल 86 डी० जमीन नापी आवेदक की उपस्थित में सर्वे नक्शा से मिलान कर किया गया, जो नक्शा में लाल रंग से दर्शाया गया है। वर्त्तमान में उक्त जमीन परती है। नापी के क्रम में आवेदक द्वारा बताया गया कि उनके द्वारा वर्षो से उक्त जमीन पर खेतिबारी की जाती है। जमीन पर किसी प्रकार का विवाद नहीं है, एवं जमीन पर उनलोगों का कब्जा है।

अंचलाधिकारी, शहर अंचल, राँची ने अपने आदेशफलक में उल्लेख किया है कि मौजा–हातमा, खात सं०–200 के सर्वे खतियान के अनुसार भूमि की किस्म कायमी है, तथा नाम लगान पाने वाला सम्मिलित मालिकाना है। खाता सं0–200, का खेवट सं०–13/4 है। सर्वे खतियान के कैफियत कॉलम में खतियानी रैयत के कब्जे में प्लॉटवार भूमि दर्शायी गई है, जिससे प्रतीत होता है कि उनके मध्य भूमि का आपसी बटवारा कब्जावारी के आधार पर हो चुका था, आवेदकगण खतियानी रैयत शनिचरवा उरांव व डिबरू उराँव, पेशरान गंगा उराँव, के उत्तराधिकारी है। अंचलाधिकारी, शहर, राँची से संबंधित राजस्व कर्मचारी, अंचल निरीक्षक तथा अमीन के स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर मौजा–हातमा, खाता सं0–200, प्लॉट सं0–468, रकबा–43 डी०, प्लॉट सं0–469, रकबा–43 डी० कुल रकबा–86 डी० भूमि की जमाबन्दी खतियानी रैयत के वंशजों क्रमशः सुखदेव उराँव, राजु उराँव, प्रभु उराँव, राजेश उराँव के नाम से पंजी–॥ में कायम करते हुए अनुशंसा की गई है।
विपक्षीगण नोटिस उपरांत भी अपना पक्ष रखने में असफल रहें।

अपीलकर्ता का आरोप है कि उनके अपने पैतृक भूमि जो ग्राम–हातमा, राजस्व थाना नं0– 200, थाना– रांची, वर्तमान लालपुर, जिला– रांची में स्थित आर.एस. खाता नं0– 200, प्लॉट नं0– 469, रकबा 43 डिसमिल भूमि है को विपक्षीगणों के द्वारा छल–प्रपंच के सहारे हड़पने के प्रयास से बचने हेतु दायर किया है। उपरोक्त वर्णित भूमि के आर.एस. खतियान के अवलोकन से स्पष्ट पता चलता है कि प्रश्नगत भूमि आर.एस. खतियान प्रकाशन के पूर्व ही खतियानी रैयतों के बीच आपसी बंटवारा हो चुका है और बंटवारे में प्रश्नगत भूमि शनिचरवा उरांव को प्राप्त हुआ। वर्तमान अपीलकर्ता शनिचरवा उरांव के वंशज हैं और प्रश्नगत भूमि इनके दखल कब्जे एवं पूर्ण स्वामित्व में है। अभिलेख में उपलब्ध कागजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह मामला स्वत्व प्रकृति का है जिसका समाधान व्यवहार न्यायालय से ही हो सकता है।

अतः न्यायालय उप समाहर्त्ता भूमि सुधार सदर रांची के विविध वाद सं0–12/2015–16, टी0आर0 सं0–09/16–17 में दिनांक–15.06.2018 को पारित आदेश को निरस्त किया जाता है।

आदेश की प्रति निम्न न्यायालय एवं अंचल अधिकारी शहर रांची को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजें।

लेखापित एवं संशोधित।

10/6/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

10/6/23
अपर समाहर्त्ता,
राँची।

Digitally signed by RAM NARAYAN SINGH
Date: 2024.02.17 16:21:35 +05:30
Location: 192.168.2.175